मध्यप्रदेश शासन

आयुष विभाग

वल्लभ भवन क्रमांक–3, चतुर्थ तल

मंत्रालय भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 13 मई, 2019

क्रमांक–1492/1540/2019/1/59, :: डॉ.ओमप्रकाश जोशी, (जिन्हें आगे से डॉ.जोशी कहा जावेगा) सेवानिवृत्त (30.07.2014) आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला धार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में उन्हें समयमान हेतु याचिका क्रमांक 9690/2018 दायर की गई । उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2018 के मुख्य बिन्दू निम्नानुसार है:–

"Having regard to the aforesaid, without adverting to the merits of the matter, the writ petition is disposed off by directing the respondent No. 2 to take an appropriate decision in the petitioners case on the basis of the communication dated 14-09-2015 and 04-01-2018 in accordance with law, within a period of six months from the date of receipt of certified copy of this order. If the petitioner is found eligible, necessary benefit may be extended to him

2/ डॉ0जोशी की उक्त याचिका में पारित माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जिला आयुष अधिकारी जिला धार द्वारा उनके पत्र दिनांक 14.09.2015 एवं 04.01.2018 द्वारा प्रेषित जानकारी अनुसार समिति की बैठक दिनांक 06.08.2018 को आयोजित की गई।

3/– समिति की बैठक दिनांक 06.08.2018 में उक्त मापदण्ड अनुसार डॉ.जोशी को दिनांक 01.04.2006 से द्वितीय समयमान देने पर विचार किया गया। डॉ0जोशी की वर्ष 2003 से 2006 तक की गोपनीय प्रतिवेदन अनुपलब्ध होने पर उनके पूर्व चार वर्षो (1998 से 2001 तक) के गोपनीय प्रतिवेदन विचार में लिये गये। जोशी के उक्त वर्षो के गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन में 11 अंक ही पाये गये जबकि समिति द्वारा अपनाये गये मापदण्ड अनुसार द्वितीय समयमान वेतनमान हेत गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन निर्धारित 13 अंक होना चाहिए थे। मापदण्ड अनुसार यदि डॉ.जोशी के उक्त वर्षो के गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन 12 अंक होता तो ही समिति एक अंक बढाने पर विचार करती। इस स्थिति में समिति द्वारा दिनांक 01.04.2006 से द्वितीय समयमान वेतनमान हेतु अनुपयुक्त पाये जाने की अनुशंसा अनुसार विभागीय आदेश दिनांक 24.09.2018 द्वारा समुचित आदेश जारी किये गये।

4/— उपरोक्त स्थिति में डॉ.ओमप्रकाश जोशी सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिल धार की याचिका क्रमांक 9690/2018 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2018 अनुसार समयमा वेतनमान देने संबंधी जिला आयुष अधिकारी जिला धार द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 14.09.2015 ए 04.01.2018 पर समिति की बैठक दिनांक 06.08.2018 में अनुशंसा की गई कि डॉ0जोशी के विचार वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन में निर्धारित अंक नहीं होने पर द्वितीय समयमा वेतनमान हेतु पात्रता नहीं है। समिति की उक्त अनुशंसा को मान्य करते हुए विभागीय आदेश दिनां 24.09.2018 द्वारा जारी किये जा चुके है कि डॉ0जोशी को द्वितीय समयमान वेतनमान की पात्रता नह है। जारी किये गये आदेश की प्रति डॉ0जोशी को भी पृष्ठांकित की गई है एवं उक्त आदेश विभागी बेवसाइड पर भी प्रदर्शित किया गया है।

5/— उक्त परिप्रेक्ष्य में डॉ.ओमप्रकाश जोशी, सेवानिवृत्त, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, जिला धा द्वारा द्वितीय समयमान वेतनमान देने हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 05.04.2018 पूर्ण विचारोपरां अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(माधवी नागेन्द्र)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग
भोपाल, दिनांक 13 मई 2019

पृ.क्रमांक 1493/1540/2019/1/59,
प्रतिलिपिः—

1— आयुक्त संचालनालय आयुष मध्यप्रदेश भोपाल ।
2— निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग भोपाल।
3— संभागीय आयुष अधिकारी, इन्दौर संभाग इन्दौर।
4— उप संचालक, संचालनालय आयुष की ओर आदेश विभागीय वेवसाइड पर प्रदर्शित हेतु।
5— जिला आयुष अधिकारी जिला धार । कृपया आदेश की एक प्रति संबंधित को अनिवार्य रूप से तामील कराने हेतु।
6— डॉ.महेश पोरवाल, कोर्ट संपर्क अधिकारी, इन्दौर, जिला आयुष कार्यालय इन्दौर। कृपया उक्त स्थिति से माननीय न्यायालय को अवगत कराये।
7— डॉ.ओमप्रकाश जोशी, से.नि.आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, द्वारा जिला आयुष अधिकारी, जिला धार।
8— आर्डर फोल्डर /स्थापना लिपिक

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग